

संख्या 004/वीजीएल/87
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ.काम्पलेक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 27.09.2005

कार्यालय आदेश संख्या 60/09/05

विषय : सरकारी कर्मचारियों द्वारा विदेश यात्राएं ।

उपर्युक्त विषय पर कृपया आयोग के दिनांक 25.10.2004 तथा 08.12.2004 के समसंख्यक परिपत्रों को देखें ।

2. आयोग द्वारा यह देखा गया है कि कुछ विभागों/संगठनों ने उनके कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2000 से 2004 तक निजी तौर पर की गई विदेश यात्राओं के बारे में सूचना प्रस्तुत नहीं की है । वे सभी संगठन जिन्होंने अभी तक यह विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं यह सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवाएं जिसे कि पहले ही जारी किया जा चुका है (प्रपत्र-1 संलग्न) । “अपवाद सूची” संबंधित सूचना तथा कर्मचारियों की संख्या का सारांश भी संलग्न प्रपत्र-2 में पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाए । इसके अतिरिक्त, सूचना का विवरण ई मेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है अर्थात् cdi4@CVC.delhi.nic.in अथवा ro-coord@cvc.delhi.nic.in.

-ह0-

**(अंजना दुबे)
उप सचिव**

- (i) मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक बैंकों/बीमा कंपनियों/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी
- (iii) राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय